सरकारी अनुमान नहीं है । राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने "आस्पेक्ट्स आ ब्लैक इकानामी इन इंडिया" नामक अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 के लिए काले धन की राशि का अनुमान 31,584 करोड़ रुपये से 36,786 करोड़ रु० के बीच लगाया है । तथापि, इस रिपोर्ट के लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि उनका अनुमान अनेक पूर्वानुमानों एवं अनुमानों पर आधारित है।

(ख) वे व्यवसाय अथवा क्षेत्र, जहां काला धन सृजित होता है अथवा उसका निवेश किया जाता है, स्थायी नाम नहीं रखते हैं । ये समय-समय पर बदलते रहते हैं । फिर भी, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने उन निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है, जहां काला धन सामान्यतः उत्पन्न होता है :

(1) स्थावर सम्पदा संबंधी लेन देन ;

(2) बड़े पैमाने पर विनिर्माण ;

(3) फिल्म उद्योग ;

(4) व्यवसाय ;

(5) निर्माण ; और

(6) तस्करी ।

(ग) मुद्रा-स्फीति पर काले धन के प्रभाव के बारे में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है । काले धन के पैदा होने से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे—मुद्रास्फीति बढ़ना एवं स्पष्ट उपभोग तथा साथ ही साथ कर पद्धति के औचित्य को भी दुर्बल बनाना।

(घ) सरकार कर अपवंचन को रोकने तथा काले धन का पता लगाने के लिए समय-समय पर आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक उपाय, जैसाकि वह ठीक समझती है, करती है । आयकर विभाग द्वारा किए गए कुछेक उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(1) सर्वेक्षण संबंधी सुव्यवस्थित कार्यवाइयां ;

(2) समुचित मामलों में तलाशी एवं अभिग्रहण कार्यवाहियां ;

(3) केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सुनियोजित ढंग से सूचना का सत्यापन करना ;

(4) चुनिन्दा मामलों में गहराई से जांच-पड़ताल करना ; और

(5) आयकर अधिनियम के अध्याय XX-ग के उपबंधों के अंतर्गत कतिपय अधिसूचित नगरों में केन्द्रीय सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति का पूर्व क्रय अधिकार।

**"फेरा" का उल्लंघन करने के लिए ओसवाल एग्रो इण्डस्ट्रीज के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना**

15. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओसवाल एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को "फेरा" का उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था । जैसा कि 5 दिसम्बर, 1990 के विभिन्न समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) :** (क) जी हां, मैसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, लुधियाना के अध्यक्ष श्री अभय ओसवाल को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों का कथित उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय ने श्री अभय ओसवाल को दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 को गिरफ्तार किया था। सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था तथा बाद में दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उन्हें जमानत पर

छोड़ दिया गया । श्री ओसवाल के विरुद्ध मुख्य आरोप यह था कि उन्होंने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की अनुमति के बिना स्विट्जर-लैंड में विदेशी मुद्रा खाता खोला और वे आयात के बीजक में लिप्त हो गए थे तथा भारत और विदेश में अपनी मुख्य कम्पनियों के माध्यम से विशिष्ट रकमों का भुगतान किया करते थे ।

**Under invoicing of import of ball-bearings**

16. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that ball-bearings of Chinese origin are being imported at heavily underinvoiced prices through Bombay and Calcutta ports from Hongkong, Singapore and United Kingdom;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what steps have been taken by Government to prevent such under-invoiced imports?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) and (b) The Government is aware of the problem of under-valuation in the case of imports of Chinese Bearings. These imports are generally made by traders of Singapore and Hongkong. Supplies of such bearings from traders based in Middle EaSt/UK are infrequent.

(c) The Government has revised the Customs duty structure for bearings and a substantial portion of the rates of dude's is specific for the bearings prone to under-valuation. Customs authorities are also insisting on manufacturer's invoice/price list in cases where invoices from traders are produced for assessment.

**Implementation of loan waiver scheme in States**

17. DR. RATNAKAR PANDEY; Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any time frame for implementation of loan waiver scheme by the States has been laid down by Government;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) the extent of implementation of loan waiver scheme in different States and Union Territories?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH); (a) to (c) The Government of India has framed the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme for public sector banks and regional rural banks. The State Governments were requested to formulate similar schemes for the cooperatives and implement the same. No time frame has been laid down by Government for implementation of these schemes. The implementation of the same in various States is in progress. As per reports available from the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Public Sector Banks (PSBs), out of 272.28 lakh beneficiaries identified so far under the Scheme, 179.47 lakh beneficiaries have, already been given relief involving an amount of Rs. 4739.70 crores.

**Increase in rate °f inflation**

18. SHRI KAPIL VERMA: SHRI SUNIL BASU RAY: SHRI SUKOMAL SEN: SHRIMATI VEENA VERMA CHOWDHRY HARI SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the inflation rate on December 1, 1,980 and on November 1 1990;